झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

विज्ञप्ति संख्या – 5/2010

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि परिषद् को विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र में अंकित शत्तों के अधीन दिनांक 28.01.2010 को 1.00 बजे अपराह्न तक दर निर्धारण हेतु पंजीकृत इच्छुक अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विक्रेताओं से सीलबन्द लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है। यह दर निविदा खोलने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य रहेगा और आवश्यकता अनुसार सामग्रियों की क्रय हेतु कार्यालय आदेश निर्गत किया जाएगा। निविदा प्रपत्र सामग्रियों की सूची आदि परिषद् कार्यालय में दिनांक 21.01.2010 से 25.01.2010 तक प्रत्येक कार्य दिवस को अपराह्न 1.00 बजे तक रू0 5000/– (पाँच हजार रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट ''झारखण्ड अधिविद्य परिषद् फण्ड'' के नाम से राँची में देय होगा। इस राशि को लौटाया नहीं जाएगा। उक्त निविदा दिनांक 28.01.2010 को अपराह्न 3.00जे निविदादाता/उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी।

नोट :–निविदा प्रपत्र को परिषद के वेबसाइट w.w.w.jac.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र अगर परिषद के वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में निविदा प्रपत्र का मूल्य 5,000 (पाँच हजार) रु० का बैंक ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा।

अध्यक्ष के आदेश से,

सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

निविदा प्रपत्र

निविदाता संस्थान का नाम एवं पता :– **दूरभाष**

संख्या :–

PAN/TAN No. :- **मोबाईल संख्या :–**

JST No. :-

1. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम – सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।
2. निविदा प्राप्त की तिथि एवं समय – दिनांक .... से .... अपराह्न ....बजे तक।
3. निविदा प्राप्त करने का स्थान – सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची का कार्यालय कक्ष।
4. निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान – .... अपराह्न .... बजे परिषद् कार्यालय।
5. सिक्युरिटि मनी – .... झारखण्ड अधिविद्य परिषद् कोष राँची के नाम से राँची में भुगतेय होगा। एकाउन्ट पेयी बैंक ड्राफ्ट के रूप में ।
6. निविदा दाता की पात्रता – निविदा दाता का अपना फर्म एवं पूर्व में इस प्रकार के कार्य करने का कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव होना चाहिए, साथ ही वार्षिक टर्न ओभर कम से कम पाँच लाख रूपये होना चाहिए। साक्ष्य संलग्न करें।
7. कार्य का ब्योरा – कार्यालय से प्राप्त सूची के अनुसार स्टेशनरी सामानों आदि की आपूर्ति परिषद् कार्यालय में करना होगा मात्रा एवं सामग्री की गुणवता Specification प्राप्त कराई गई सूची के अनुसार होगा।
8. कार्य सम्पादन की अवधि – कार्यादश निर्गत करने के पूर्व 10/–रू0 स्टाम्प पर आपूर्ति की जा रही सामग्री की अदद/मात्रा एवं निविदा में दी गई शर्त्तों तथा निविदा के साथ दिये

गये नमूने के अनुरुप सामग्री के आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में कम आपूर्ति को पूरा करना तथा गुणवत्ता एवं नमुनें के अनुरूप सामग्री बदल कर आपूर्ति करने हेतू एक एकरारनामा करना होगा एवं 15 दिनों के अन्दर सामानों की आपूर्ति करनी होगी।

9. निविदा के साथ जमा किये जाने वाले कागजात – अद्यतन आयकर स्वच्छता प्रमाण पत्र, अद्यतन बिक्रीकर का स्वच्छता प्रमाण पत्र, आपूर्त्ति किए जाने वाले कागज/सामग्री का एक नमूना, कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, सिक्यूरिटि मनी का राशि का बैंक ड्राफ्ट तथा वार्षिक टर्न ओभर संबंधी प्रमाण पत्र।

दुकान/फर्म के Establishment का पता एवं प्रमाण पत्र (शपथ पत्र)

10. दर मुहरबंद लिफाफे में – समग्रियों की दर, अंक एवं अक्षरों में साफ–साफ अंकित होना चाहिए, सामग्री के लिए Specification एवं प्रति पीस/दर्जन/सैकड़ा एवं लिफाफा के लिए दर प्रति पीस के लिए अंकित होना चाहिए, प्रत्यके आईटम के लिए एक ही दर अंकित किया जाएगा, किसी प्रकार की कटिंग एवं ओभर राईटिंग होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

निविदित दर से सभी कर राज्य एवं केन्द्रीय कर तथा परिवहन भाड़ा शामिल रहेगा, प्रत्यके आईटम की दर होना आवश्यक है।

11. भुगतान – निर्धारित गुणवत्ता के कागज पर जी0एस0एम0 एवं ब्राण्ड, ISI हॉल मार्क वाला सामान के अनुरूप आपूर्त्ति समय सीमा के अन्दर कियें जाने के 15 दिनों के अन्दर 80 प्रतिशत भुगतान कर दिया जायेगा शेष 20 प्रतिशत भुगतान गुणवता की जाँच के बाद एक माह के अन्दर किया जायेगा। भुगतान के समय विपत्र से विक्री कर एवं आयकर की कटौती

नियमानुसार की जायगी, गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर भण्डार में प्राप्त नहीं किया जाएगा, परिषद् को अपने स्तर से निर्णय लेने पर अधिकार सुरक्षित रहेगा, तथा सिक्युरिटिमनी जब्त कर ली जायगी।

12. अन्य शर्त्त – (क) परिषद् कार्यालय के अध्यक्ष के पास निविदा रद्द करने या एक से अधिक निविदादाताओं के बीच कार्य वितरण करने का अधिकार पूर्ण रूपेण सुरक्षित रहेगा।

(ख) अस्पष्ट एवं सशर्त्त निविदाएँ नहीं ली जायेगी।

(ग) किसी भी आईटम के लिए एक से अधिक नमूना या दर देने पर विचार नहीं किया जायेगा।

(घ) लिफाफों, रजिस्टर के साईज एवं छपाई का नमूना परिषद् कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है तथा परिषद् कार्यालय द्वारा निर्गत सूची को निविदादाताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

13 – निविदा प्रपत्र में यह अंकित करना आवश्यक है निविदा द्विस्तरीय होंगे। प्रथम तकनिकी एवं दूसरा मूल्य/दर का भाग। तकनिकी निविदा एंव मूल्य निविदा अलग–अलग लिफाफे में बन्द होगे और पुनः उसे एक लिफाफे में बन्द करना होगा।

सचिव
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची